सं0- 19 /2023/ /001-163-23-12-2023-ईएफ-74-2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023**

विषय:-उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के कार्यालय प्रमुख अभियन्ता परिसर में 300 एमबीपीएस बैण्डविथ की इंटरनेट लीज्ड लाइन की सेवा दिनांक 23.05.2022 से दिनांक 22.05.2023 तक प्रदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-321/एफ-14/वी0सी0/कम्प्यू0/2019-20, दिनांक 07.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के कार्यालय प्रमुख अभियन्ता परिसर में 300 एमबीपीएस बैण्डविथ की इंटरनेट लीज्ड लाइन की सेवा दिनांक 23.05.2022 से दिनांक 22.05.2023 तक प्रदान कराये जाने के कार्य हेतु रू0 12,61,337.00 (रू0 बारह लाख इकसठ हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं0	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत (रू0) (जीएस0टी0 सहित)
1	2	3	4
1	कम्प्यूटराईजेशन खण्ड	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के कार्यालय प्रमुख अभियन्ता परिसर में 300 एमबीपीएस बैण्डविथ की इंटरनेट लीज्ड लाइन की सेवा दिनांक 23.05.2022 से दिनांक 22.05.2023 तक प्रदान कराये जाने विषयक ।	रू0 12,61,337.00

नियम व शर्तें

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सभी अद्यतन लागू वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एव0पी0/2017, दिनांक 15.01.2018 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) सामग्रियों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रवर्तित समस्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त् न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,61,337 (रुपये बारह लाख इकसठ हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय (वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000500 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-8-681-एक्स-2022-23-दिनांकः 16-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0- 19/2022/ /001-163-23-12-2023-ईएफ-74-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0वृत्त, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता,कम्प्यूटर सेल, लोक,निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्माण/ प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।